संख्या-31/2015/1564 /43-1-2015-25(15)/2015

प्रेषक,

एस0 एन0 शुक्ल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
राज्य सूचना आयोग
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 14 अक्टूबर, 2015**

विषय:- उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के निर्माणाधीन भवन को क्रियाशील करने हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-46 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में कार्यालय भवन हेतु नया फर्नीचर लगाये जाने, पुराने फर्नीचर आलमारी के रिपेयर, डेन्टिंग पेंटिंग के कार्य तथा आयोग कार्यालय को इन्दिरा भवन, लखनऊ से विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ स्थित नवनिर्मित भवन में शिफट करने के संबंध में होने वाले व्यय के आगणन रू0 269.26 लाख एवं नवमिर्मित भवन में LAN/WAN Connectivity की स्थापना किये जाने हेतु आने वाले व्यय के आगणन रू0123.70 लाख के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-699 /रा0सू0आ0/2015, दिनांक 03-09-2015, पत्र संख्या-700/रा0सू0आ0/2015,दिनांक 04-09-2015, पत्र संख्या- 712 /रा0सू0आ0/2015, दिनांक14-09-2015,पत्र संख्या-715/रा0सू0आ0/2015, दिनांक 21-09-2015 एवं पत्र संख्या-720/रा0सू0आ0/2015, दिनांक 01-10-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सूचना आयोग कार्यालय के निर्माणाधीन भवन को क्रियाशील करने हेतु गोदरेज मेक का नया फर्नीचर लगाये जाने, कार्यालय में स्थित पुराने फर्नीचर, आलमारी के रिपेयर, डेंटिग पेंटिंग का कार्य एवं आयोग कार्यालय को इन्दिरा भवन, लखनऊ से विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ स्थित नवनिर्मित भवन में शिफ्ट करने के संबंध में कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 लखनऊ द्वारा प्रस्तुत आगणन रू0 269.26 लाख की तथा कार्यालय के नवमिर्मित भवन में LAN/WAN Connectivity की स्थापना किये जाने हेतु प्रस्तुत आगणन रू0 123.70 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने तथा उक्त कार्यो हेतु रू0 269.26 लाख + रू0123.70 लाख = रू0 392.96 लाख की धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन अवमुक्त करने एवं सचिव,

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

राज्य सूचना आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) स्वीकृत धनराशि पी0एल0ए0/ डिपोजिट खाते में जमा नहीं की जायेगी।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय- 12 के प्रस्तर-318 में निहित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) कार्य की विशिष्टियॉ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सूचना आयोग की होगी। प्रायोजना का कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(6) उत्तर प्रदेश सूचना आयोग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(7) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(8) फर्नीचर के क्रय एवं स्थापना हेतु प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी, जिसमें मुख्य सूचना आयुक्त के द्वारा नामित एक अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 के परियोजना प्रबन्धक सदस्य होंगे, जो कि फर्नीचर आदि का क्रय वित्तीय नियमों का पूर्ण रूप से अनुपालन करते हुए न्यूनतम आवश्यकतानुसार एवं न्यूनतम दरों पर किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(9) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-46 के लेखा शीर्षक "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय आयोजनागत-01-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कार्यालय भवन-051-निर्माण-03-राज्य सूचना आयोग के कार्यालय भवन का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा ।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- बी-2-2528/दस-2014-10/77 दिनांक 26-8-2014 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30-3-2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0 एन0 शुक्ल)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक0) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री , उत्तर प्रदेश शासन ।
4. प्रमुख सचिव, श्रीराज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, योजना भवन, लखनऊ ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त एवं लेखाधिकारी, राज्य सूचना आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8. लेखाकार, राज्य सूचना आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
11. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, उ0प्र0 लखनऊ।
12. अनुभागीय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से,

(डा0 नन्द लाल)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।